फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा,जिला अलवर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस)

वा संख्या	दायर दिनांक	प्रारम्भिक निर्णय दिनांक
/102	20.10.2020	22.01.2025

बउनवान

. श्रीराम पुत्र लहरीराम जाति गुर्जर निवासी सारंगपुरा तहसील मालाखेडा हाल निवासी कुशालगढ तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

वादी

बनाम

1.गिरधारी लाल पुत्र कन्हैयालाल गुर्जर निवासी कुशालगढ हाल निवासी पटेल नगर अलवर।
2.रामलाल पुत्र गोविन्दा जाति गुर्जर निवासी कुशालगढ तहसील मालाखेडा।
3.त्रिलोक चन्द एचयूएफ पुत्र दयाराम जाति गुर्जर निवासी सीडीआर फार्म, गदाईपुर, नई दिल्ली।
4. ओमकार पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी कुशालगढ।
5. शिवचरण पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी कुशालगढ।
6 हरिश चन्द साहनी पुत्र भगत राम जाति खत्री, निवासी बी–137 डेरावाला नगर देहली।

प्रतिवादीगण

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर मालाखेडा।

दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:प्रारम्भिक निर्णयः–

वकील वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर हाल 192 रकबा 0.13 है0, 193 रकबा 00.59 है0, 194 रकबा 0.64 है0, 195 रकबा 0.44 है0, 202 रकबा 0.22 है0 205 रकबा 0.08 है0, 206 रकबा 0.06 है0, 207 रकबा 0.10 है0, 208 रकबा 0.42 है0, 209 रकबा 0.33 है0 कुल किता 10 रकबा 3.01 है0 वाके ग्राम कुशालगढ, तहसील मालाखेड़ा, वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तर्का खातेदारी की आराजी है जिसमे वादी का 80/357 अविभाजित हिस्सा है एवं शेष हिस्सा मुताबिक जमाबंदी प्रतिवादीगण का है। विवादित आराजी पर वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा मुश्तर्का मे बतौर खातेदार के चला आ रहा है और मुश्तर्का मे ही पैदावार काश्त प्राप्त की जाती है। विवादित आराजी के बाबत आज तक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार से विभाजन नही हुआ है। कुछ समय से वादी के खिलाफ प्रतिवादीगण ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है जो वादी को उसके हिस्से के अनुसार ना तो कार्य काश्तकारी करने देते है और ना ही फसल पैदावार प्राप्त करने देते है बल्कि विवादित आराजी मे प्लॉटिंग आदि करके व निर्माण कार्य करके स्थिति मौका तब्दील करना चाहते है और अच्छी अच्छी आराजी को बिना तकासमा के अन्य लोगो को मुन्तकिल व मकफूल करने पर उतारू है।

वादी ने वाद प्रस्तुत कर वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर वादी के हक मे अनुतोष चाहा कि विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 192 रकबा 0.13 है0, 193 रकबा 00.59 है0, 194 रकबा 0.64 है0, 195 रकबा 0.44 है0, 202 रकबा 0.22 है0 205 रकबा 0.08 है0, 206 रकबा 0.06 है0, 207 रकबा 0.10 है0, 208 रकबा 0.42 है0, 209 रकबा 0.33 है0 कुल किता 10 रकबा 3.01 है0 वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी

फर्द अहकाम

लगढ, तहसील मालाखेड़ा, वादी को उसके हिस्से के अनुसार अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से आराजी का तकासमा कर कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण ये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि वाद मे वर्णित विवादित आराजी पक्षकारान खातेदारी आराजी है जिसमे वादी का 80/357 हिस्सा है किन्तु वादी ने प्रतिवादीगण का हिस्सा नही किया है। इसलिये यहा यह लिखना भी आवश्यक है कि विवादित आराजी मे प्रतिवादी या । का 3/476 हिस्सा है और अपने हिस्से पर वादी व प्रतिवादीगण मुश्तर्का मे ही काश्त करते आ रहे है। विवादित आराजी का अभी तक कोई विभाजन नही हुआ है। वादी विवादित आराजी तकासमा करवाकर अपना खाता अलग कायम करवाना चाहता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई मत्ति नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विवादित राजी वादी व प्रतिवादी की मुश्तर्का खातेदारी की आराजी है। जमाबंदी सम्बत् 2073—2076 खाता ख्या नया 11 पर वादी एवं प्रतिवादी का नाम संयुक्त रूप से अंकित किया हुआ है। राजी खसरा नम्बर हाल 192 रकबा 0.13 है0, 193 रकबा 00.59 है0, 194 रकबा 0.64 है0, 195 कबा 0.44 है0, 202 रकबा 0.22 है0 205 रकबा 0.08 है0, 206 रकबा 0.06 है0, 207 रकबा 0.10 0, 208 रकबा 0.42 है0, 209 रकबा 0.33 है0 कुल किता 10 रकबा 3.01 है0 वाके ग्राम कुशालगढ, हसील मालाखेड़ा, आराजी अबट है जिसका विभाजन अभी तक नही हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार उक्त भूमि विभाजित कराने के वादी एवं प्रतिवादी अधिकारी है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विवादित आराजी को वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजित किये जाने हेतु वाद प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार मालाखेडा को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदी सम्बत् 2073—2076 खाता संख्या नया 11 मे दर्ज आराजी खसरा नम्बर हाल 192 रकबा 0.13 है0, 193 रकबा 00.59 है0, 194 रकबा 0.64 है0, 195 रकबा 0.44 है0, 202 रकबा 0.22 है0 205 रकबा 0.08 है0, 206 रकबा 0.06 है0, 207 रकबा 0.10 है0, 208 रकबा 0.42 है0, 209 रकबा 0.33 है0 कुल किता 10 रकबा 3.01 है0 वाके ग्राम कुशालगढ, तहसील मालाखेड़ा, का मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति मे अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी मे से बुरी के आधार पर रिकॉर्ड एवं मौके के अनुसार रास्ते की सुविधा का ध्यान रखते हुये विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा बैरंग सुर्खी से दर्शाते हुये आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.02.2025 से पूर्व न्यायालय मे प्रस्तुत करें। प्रारम्भिक डिक्री जारी हो।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

निर्णय आंज दिनांक 22.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०